कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय
पिपरी–सोनभद्र

दिनांक 14.12.2018

पत्रांकः 705 /क0नि0ख0–3,पि0/वन/

विषयः जनपद–सोनभद्र कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षेत्रीय कार्यालय) मध्य, लखनऊ के पत्र सं0–8B/UP/02/31/2018/FC/219/Dt. 20-08-2018

<u>प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र।</u>

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि श्री के0के0 तिवारी, सी0एफ0 (सेन्ट्रल) द्वारा कनहर सिंचाई परियोजना का दिनांक 24.05.2018 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, निरीक्षणोंपरान्त उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा यह निर्देश दिया गया कि 127.1637 हे0 के विरूद्ध प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) के लिये दी जा रही भूमि 132.6126 हे0 में पूर्व में भी पेंड़–पौधे लगे हुये हैं, जिसके कारण वनीकरण की भूमि कम हो जायेगी, जिसके लिये अतिरिक्त भूमि देने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त के अनुपालन में कनहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहित ग्राम कुदरी की 28.1482 हे0 भूमि अतिरिक्त दी जा रही है, जिसका विण्ढमगंज क्षेत्र के वन क्षेत्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.12.2018 को भी स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन किया जा चुका है। यह भी अवगत कराना है कि कनहर सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना की मा0 मुख्य मंत्री महोदय के स्तर से प्रतिमाह समीक्षा की जा रही है एवं मुख्य सचिव स्तर से 15 दिन में समीक्षा हो रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कार्य की महत्ता व समयाभाव को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षेत्रीय कार्यालय) मध्य, लखनऊ द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में उपरोक्त अतिरिक्त वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि को अपलोड कराने का कष्ट करें।

29/12/18

अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय
पिपरी–सोनभद्र

पत्रांकः /क0नि0ख0–3,पि0/वन/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–अधीक्षण अभियन्ता, कनहर निर्माण मण्डल, पिपरी–सोनभद्र।

2–सहायक अभियन्ता–द्वितीय, कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय, पिपरी।

अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय
पिपरी–सोनभद्र